1

<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—1006 / 2012</u> संस्थित दिनांक —07.12.2012

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक—16/12/2014 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—03.11.2012 को समय दोपहर 3:00 बजे प्रार्थी के घर के सामने ग्राम उमिरया थाना रूपझर अंतर्गत लोक स्थान पर प्रार्थी दिनेश को अश्लील उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, आहत दिनेश को दांत से दाहिने पैर की पिंडली पर काटकर स्वैच्छया उपहित कारित कर, प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—03.11.2012 को समय दोपहर 3:00 बजे प्रार्थी के घर के सामने ग्राम उमिरया थाना रूपझर अंतर्गत प्रार्थी अपने घर के सामने मोहन गोंड के साथ बैठा था तभी आरोपी आया और उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देने लगा, जब उसके द्वारा गाली गालियां देने से मना किया गया तो आरोपी ने उसे दाहिने पैर की पिण्डली में दांत से काट दिया तथा जान से मारने करने की धमकी दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी / आहत दिनेश के द्वारा थाना रूपझर में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—99 / 2012, धारा—294, 324, 506, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों

के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी दिनेश ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 506 (भाग—दो) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा—324 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूटा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—03.11.2012 को समय दोपहर 3:00 बजे प्रार्थी के घर के सामने ग्राम उमिरया थाना रूपझर अंतर्गत आहत दिनेश को दांत से दाहिने पैर की पिंडली पर काटकर स्वैच्छया उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— आहत दिनेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 9 माह पूर्व दिन के लगभग 3 बजे उसके घर के आंगन की है। घटना दिनांक को आरोपी ने उसे गाली बका था, जिस पर उसने आरोपी को ढकेल दिया, जिससे आरोपी गिर गया। आरोपी ने उठकर उसके दाहिने पैर में कांट दिया, जिससे खून निकल गया। उसने घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में प्रदर्श पी—1 दर्ज करायी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटना स्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का नजरी नक्शा नहीं बनाया था। घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके ढकेलने से आरोपी गिर गया था और उसने गिरने के बाद उसका पैर पकड़ लिया था, जिस कारण उसे चोट आयी थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी ने काटा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी के द्वारा पैर पकड़ने में वह भी जमीन पर गिर गया था। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि आरोपी और फरियादी के मध्य झुमा—झपटी हुई और एक—दूसरे के बचाव में उन्होनें कथित मारपीट की थी।
- 6— मोहनलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को जानता है। घटना दो—तीन माह पूर्व गर्मी के समय की है। घटना दिनांक को वह दिनेश के घर पर बैटा था तब आरोपी आया और दिनेश को कहने लगा कि तुमने मोहन को अपने घर में छुपाकर क्यों रखे हो, उसको बाहर निकालो। दिनेश ने जब आरोपी को घर जाने कहा तो आरोपी ने उसे दाई—मेहतारी की गाली देने लगा। फिर दिनेश ने आरोपी को उसके घर भगा दिया। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी

ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने दिनेश को पैर में दांत से काट दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी और प्रार्थी की लामा—झुमी हो रही थी, उसने आरोपी को प्रार्थी के पैर पर काटते हुये नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह तथ्य प्रकट होता है कि उसने आरोपी को दांत से काटते हुये नहीं देखा। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस तथ्य का समर्थन किया है कि आरोपी और फरियादी के मध्य घटना के समय झुमा—झपटी हो रही थी।

- 7— चिकित्सीय साक्षी डॉ.डी.सी.धुर्वे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—03.11.2012 को शासकीय चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक आहत दिनेश पिता बुधिसंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत के दाहिने पैर कि पिण्डली के नीचे व सामने की ओर एक खरौंच पाया था, जो चमडी तक की गहराई लिये हुये था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कड़ी एवं खुरदुरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, जो साधारण प्रकृति की थी। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहत को आयी चोट कड़ी एवं खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती है। इस चिकित्सीय साक्षी के द्वारा अभियोजन मामले का इस तथ्य के संबंध में समर्थन नहीं किया गया है कि उक्त आहत को दांत से कांटा गया था। इस प्रकार आहत दिनेश को दांत से कांटने के निशान या चोट पाये जाने का समर्थन चिकित्सीय साक्षी ने अपने कथन में नहीं किया है।
- 8— अनुसंधानकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा.३) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—04.11.2012 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध कमांक—99/2012, धारा—294, 323, 324, 506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थी दिनेश की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी मोहनलाल, रमेश, दिनेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।
- 9— मामले में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में स्वयं आहत दिनेश (अ.सा.1) एवं साक्षी मोहनलाल (अ.सा.2) की साक्ष्य पेश की गई है। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में घटना के समय आरोपी एवं फरियादी दिनेश के मध्य झुमा—झपटी कर एक—दूसरे को बचाव में मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। आहत दिनेश (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा दाहिने पैर में कांट लिये जाने के कथन किये है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसे गिरने के कारण पैर में चोट आयी थी। साक्षी

ने घटना स्थल पर मुरम के साथ पत्थर भी होना स्वीकार किया है। अतएव इस तथ्य की अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आहत दिनेश को गिरने के कारण पत्थर से पैर टकराने पर चोट आयी थी। स्वतंत्र साक्षी मोहनलाल (अ.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपी को आहत दिनेश के पैर पर काटते हुये नहीं देखे जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। चिकित्सीय साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में आहत दिनेश की चोटो को परीक्षण में दांत से कांटने वाली चोट पाये जाने का कथन नहीं किया है। इस प्रकार मामले में आहत दिनेश को दांत से कांटने की चोट कारित होने के संबंध में संदेहास्पद साक्ष्य पेश होने तथा उक्त संदेह को अभियोजन की ओर से प्रस्तृत साक्ष्य में दूर न किये जाने से अभियोजन ने आरोपी द्वारा आहत दिनेश को दांत से कांटने के संबंध में अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। मामले में मात्र अनुसंधान कार्यवाही का अधिक महत्व नहीं रह जाता। अभियोजन ने मात्र यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने आहत दिनेश को घटना के समय मारपीट करते समय साधारण उपहति कारित की है, जिस अपराध हेत् आहत / फरियादी दिनेश ने आरोपी से राजीनामा कर लेने के फलस्वरूप उक्त अपराध को शमन किया जाने का प्रभाव रखता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत दिनेश को दांत से दाहिने पैर की पिंडली पर काटकर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को धारा-324 भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। <equation-block>

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 🌠 11-

प्रकरण में आरोपी दिनांक-15.12.2014 से दिनांक-16.12.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

EILEN STATE OF STATE निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट